न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 54 / 2024 राजस्व वाद

अनवान

1–सीता पत्नि जीवराज गूजर निवारी बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2–जीवराज पिता धन्ना गूजर निवारी भैरूखेड़ा बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा —— वादीगण

बनाम

1– लीलादेवी पत्नि महावीर प्रसाद गूजर निवारी भैरूखेड़ा बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा — प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 53,54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री आई0एम0छीपा (अधिवक्ता वादीगण)
पेरोकार सरकार (विपक्षी सं0 2)

निर्णय

दिनांक 21.05.2025

वादीगण के द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है –

1–यह कि ग्राम बालेसरिया पटवार हल्का बालेसरिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल बनेड़ा तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के नवीन खाता संख्या 502 में दर्ज आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.7841 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज होने से वादी का वाद दिनांक 24.01.2025 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बनेड़ा को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

2–यह कि प्राथमिक निर्णय की पालना में तहसीलदार बनेड़ा ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2025/1019 दिनांक 03.04.2025 से बटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों व तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त बटवाड़ा प्रस्ताव को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा किया गया विभाजन प्रस्ताव हम वादीगण को स्वीकार है। अतः इसी अनुसार वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री फरमाया जावे।

3–हमने वकील वादीगण को सुना तथा बहस के तथ्यों व पत्रावली में प्राप्त बटवाड़ा प्रस्ताव एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं इसके साथ संलग्न ग्राम बालेसरिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के नवीन खाता संख्या 502 में दर्ज आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.7841 हैक्टर किस्म बारानी III जीवराज पिता धन्ना 1/2 गूजर व लालीदेवी पत्नि महावीर प्रसाद 1/4 गूजर, सीतादेवी पत्नि जीवराज 1/4 गूजर सावदेह के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इस प्रकार वादीगण का वादवर्णित आराजी में 3/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा होना सिद्ध होता है।

4–यह कि तहसीलदार बनेड़ा के पत्रांक /भू0अ0/2025/1019 दिनांक 03.04.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार आ0नं0 1456 मूल रकबा 0.5881 हैक्टर किस्म बारानी III का जीवराज पिता धन्ना 1/2 गूजर व सीतादेवी पत्नि जीवराज 1/4 गूजर सा0 देह के नाम रखी गई तथा आ0नं0 1456/1 रकबा 0.1960 हैक्टर किस्म बारानी III लालीदेवी पत्नि महावीर प्रसाद गूजर के नाम तन्हा दर्ज किया जावे । बटवाड़ा प्रस्ताव के साथ प्राप्त पर्चामौका दिनांक 24.03.2025 इसके साथ भिजवाया जा रहा है जो निर्णय का अभिन्न अंग होगा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम तन्हा खातेदारी से दर्ज करते हुए खाता अलग–अलग दर्ज किया जाने व बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार नक्शे में तरमीम किए जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव–

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बालेसरिया प0म0 बालेसरिया व भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल बनेड़ा तहसील बनेड़ा की आराजी नम्बर 1456 मूल रकबा 0.5881 हैक्टर किस्म बारानी III का जीवराज पिता धन्ना 1/2 गूजर व सीतादेवी पत्नि जीवराज 1/4 गूजर सा0 देह के नाम दर्ज की जावे तथा आ0नं0 1456/1 रकबा 0.1960 हैक्टर किस्म बारानी III लालीदेवी पत्नि महावीर प्रसाद गूजर के नाम तन्हा दर्ज किया जावे । बटवाड़ा प्रस्ताव के साथ प्राप्त पर्चामौका दिनांक 24.03.2025 इसके साथ भिजवाया जा रहा है जो निर्णय का अभिन्न अंग होगा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम तन्हा खातेदारी से दर्ज करते हुए खाता अलग-अलग दर्ज किया जाने व बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकान्त [illegible])
उपखण्ड अधिकारी,बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बनेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अंतिम डिकी ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 54 / 2024 राजस्व वाद

अनवान

1–सीता पत्नि जीवराज गूजर निवासी बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2–जीवराज पिता धन्ना गूजर निवासी भैरूखेड़ा बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा –––वादीगण

बनाम

1– लीलादेवी पत्नि महावीर प्रसाद गूजर निवासी भैरूखेड़ा बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा – प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 53,54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री आई0एम0छीपा (अधिवक्ता वादीगण)
पेरोकार सरकार (विपक्षी सं0 2)

निर्णय

दिनांक 21.05.2025

अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ग्राम बालेसरिया प0म0 बालेसरिया व भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल बनेड़ा तहसील बनेड़ा की आराजी नम्बर 1456 मूल रकबा 0.5881 हैक्टर किस्म बारानी III का जीवराज पिता धन्ना 1/2 गूजर व सीतादेवी पत्नि जीवराज 1/4 गूजर सा0 देह के नाम दर्ज की जावे तथा आ0नं0 1456/1 रकबा 0.1960 हैक्टर किस्म बारानी III लालीदेवी पत्नि महावीर प्रसाद गूजर के नाम तन्हा दर्ज किया जावे । बटवाड़ा प्रस्ताव के साथ प्राप्त पर्चामौका दिनांक 24.03.2025 इसके साथ भिजवाया जा रहा है जो निर्णय का अभिन्न अंग होगा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम तन्हा खातेदारी से दर्ज करते हुए खाता अलग–अलग दर्ज किया जाने व बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।

यह डिकी आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा